

Form No. III  
**फर्द अहकाम**  
 (नियम 26)

अदालत

सहायक कलेक्टर  
 पाली (राज.)

मुकाम



तहसीलदार पाली

बनाम मो. युनुस वगैरा

किस मुकदमा

राजस्व विविधा  
 (स 212 R.T. Act 1955)

नम्बर 27 सन् 2017

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
22-10-19	<p>वक्र 3प०! सरकारी पैरो. 3प०।                      बहल सुनी गयी! पत्रावली वास्ते                      निर्णय दि. 31.10.2017को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">                      सहायक कलेक्टर                      पाली (राज.)</p>	
31-10-19	<p>वक्र 3प०! सरकारी पैरो. 3प०।                      सरकारी पैरो. ने अपनी बहल में बताया कि                      अपाधीगणों द्वारा पाली चक्र प्रथम के ख. नं.                      773/12 रकबा 14.15 बीघा किलम का.अ.                      खातेदारी भूमि में से 1.12 बीघा भूमि का                      अवृषि प्रयोजनार्थ उपयोग कर रहे हैं जिन्हे                      उक्त भूमि का किली भी प्रकार के संपरिवर्तन                      कराया है जहां किली संपरिवर्तन के भूमि का                      स्वरूप बदल कर रेस्टोरेण्ट एवं गार्डन बनाकर                      स्थिति अलग से कर दी गयी है और अपाधीगणों                      का अस्वार्थ निषेधाज्ञा के जारी पाखेंद सिमाजीव                      वाली अपाधीगण ने सरकारी पैरो. की बहल                      का विशेष करते हुए बताया कि सरकारी पैरो. द्वारा                      बिना साक्ष्य सबूत बहल की है, मौका फर्द पर तह.                      के हस्तक्षर नहीं हैं तथा मूल फर्द भी सलोकन लेने                      छाया प्राप्त है। उक्त वृषि भूमि पर ट्रप कायिज है                      जहां किली प्रकार का किलिपि नहीं किया है न ही करेगा                      बहल सुने के पश्चात एवं पत्रावली का                      गहनता से अवलोकन पश्चात तहसीलदार पाली का                      प्राप पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद के                      निर्णय होने तक रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये                      रखने के आदेश दिये जाते हैं।                      यथा अपाधीगण मूल वाद तर्फे मूल                      रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे। पत्रावली फेल                      सुनार होकर मन्वर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">                      सहायक कलेक्टर                      पाली (राज.)</p>	